:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बरः—95/17 राजस्व वाद

1. भगवान पिता सोमा अहारी जाति भील
2. नेमा पिता सोमा अहारी जाति भील उम्र वयस्क निवासीयान चारवाडा तहसील झोथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

वादीगण

बनाम

1. श्री अमृतलाल पिता फुला जाति मीणा
2. लक्ष्मण पिता फुला जाति मीणा निवासीयान चारवाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
3. श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल एडवोकेट वादी

2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई उप.नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद बाबत् **घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दूरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम।**

:: निर्णय ::

दिनांक 30/03/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 से 2 गॉव चारावाडा के निवासीयान है कि वादीगण का पीढीनामा निम्नप्रकार है।

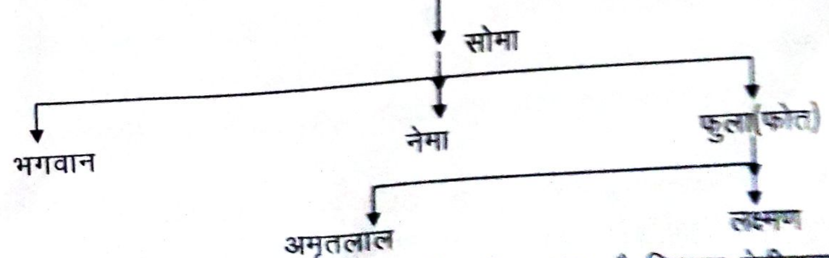

यह कि वादीगण के पिता स्व. सोमा पिता लालु है जिनका पेढीनामा बीन्दु सख्या 2 में वर्णित किया गया है। गॉव चारवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2074—2077 के खाता सख्या 110 के खसरा सख्या 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 635, 741 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 2.9764

हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी भगवान 1/3 हिस्से पर तथा वादी नेमा 1/3 हिस्से पर काबीज होकर काश्त करते आ रहे है.कि सेटलमेन्ट सवंत 1999 लगायत संवत 2008 के गॉव चारावाडा के खाता सख्या 24 में वादीगण के पिता सोमा के पिता का नाम लालु बल्द बेचात दर्ज रिकार्ड है जिसके खेत/आराजी नम्बर 195, 201, 202, 437, 438, 450,198 205, 433, 440, 1053/438 है जिनका फर्द तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:--

गत खसरा नम्बर	वर्तमान खसरा नम्बर
205	607
202	607
437	608
437	609
437	610
437	611
438	612
433	613
1053/438, 440, 437	614
195	625
201	635
450	618
440	619

यह कि सेटलमेन्ट सवंत् 2019 में सेटलमेन्ट कर्मीया द्वारा उक्त आराजीयात फुला वल्द सुमा मीणा अकेले के नाम दर्ज कर ली गई जबकि वादीगण का भी नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना आवश्यक था किन्तु सेटलमेन्ट कर्मीयो द्वारा ऐसा नही कर भारी भूल की है। जिसके लिए वादी बाधीत नही है। कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार 1/3 हिस्सा भगवान एवं 1/3 हिस्सा नेमा दर्ज किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण के साथ घोर अन्याय हो जावेगा। कि वादीगण द्वारा दिनांक 28/08/2019 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर उसमें वादीगण का नाम नहीं होने पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे। (अ) यह कि गॉव चारवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2074-2077 के खाता सख्या 110 के खसरा सख्या 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 635,741 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 2.9764 हैक्टेयर में वादी भगवान का 1/3 हिस्से का एवं वादी नेमा को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। (ब) यह कि दौराने वादी वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल किया जाता है तो पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। (स) यह कि अन्य न्यायोचित अनुतोष जो धारा 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत हो प्रदान किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं हुआ, एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

30/3/21

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज:– जमाबन्दी संवत् 2074–2077 गॉव चारवाडा खाता सख्या 110, सेटलमेन्ट सवंत् 1999, सेटलमेन्ट सवंत् 2008, फर्द तुलनात्मक, पेढीनामा ग्राम पंचायत से तस्दीकशुदा पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

बयान वादी भगवान एवं अन्य स्वतंत्र गवाह के लेखबद्ध किए गए।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी अपना वाद साबीत करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है ऐसे में वादी का वाद डिकी किया जाता है गॉव चारवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2074–2077 के खाता सख्या 110 के खसरा सख्या 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 635, 741 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 2.9764 हैक्टेयर में वादी भगवान पिता सोमा 1/3 हिस्से का एवं वादी नेमा पिता सोमा को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादग्रस्त आराजी में वादी भगवान 1/3 हिस्सा, नेमा 1/3 हिस्सा तथा फुला या उसके वारीसानो का 1/3 हिस्सा दर्ज हो, तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी 30/3
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 30/03/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी 30/3/21
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधीकारी श्री अनील कुमार जैन RAS

श्री भगवान **बनाम** श्री अमृतलाल आदि

दावाः– **वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दूरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम।**

सख्याः– ..95/19..

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस वाद में आज दिनांक 30/03/2021 को अनील कुमार जैन RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर डिकी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है गॉव चारवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2074–2077 के खाता सख्या 110 के खसरा सख्या 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 635, 741 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 2.9764 हैक्टेयर में वादी भगवान पिता सोमा 1/3 हिस्से का एवं वादी नेमा पिता सोमा को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादग्रस्त आराजी में वादी भगवान 1/3 हिस्सा, नेमा 1/3 हिस्सा तथा फुला या उसके वारीसानो का 1/3 हिस्सा दर्ज हो, तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

यह आज दिनाक 30/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
30/3/21

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा)

वाद के खर्चे

			प्रतिवादी		
वादी			1 स्टाम्प वकालतनामा		
1. वाद के लिए स्टाम्प			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
2 स्टाम्प वकालतनामा			3. महनताना वकील		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			4 खचो गवाहन		
4 महनताना वकील			5 आदेशिका की तामील		
5. खर्चा गवाहान			6 कमिश्नर की फीस		
6 कमिश्नर की फीस					
7 आदेशिका की तामील					
योग					

अनील कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
30/3/21

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा)